**प्रेषक,**

अनिल कुमार XI,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

**सेवा में,**

माननीय जिला न्यायाधीश, महोदया,
सहारनपुर।

**विषयः**— धनंजय कुमार के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 13–12–2022 पर वाँछित आख्या के सम्बन्ध में।

**आदरणीय महोदया,**

उपरोक्त विषयक प्रार्थी/शिकायतकर्ता धनजय कुमार के शिकायती प्रार्थना पत्र पर पारित आदरणीय महोदया के आदेश दिनाकित 13–12–2022 जो आदरणीय महोदया के प्रशासनिक कार्यालय द्वारा दिनाक 16–12–2022 को अधोहस्ताक्षरी के अग्रसारित किये जाने का आदेश अंकित है, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय लिपिक द्वारा दिनांक 16–12–2022 को सांयकाल प्राप्त कराया गया। शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र मे वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि–

1— प्रश्नगत मामलें में शिकायतकर्ता धनंजय कुमार द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव त्यागी एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 पर पारित अधोहस्ताक्षरी के ही आदेश दिनांकित 22–10–2020 के द्वारा थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 531/2020 अर्न्तगत धारा 420, 406, 504 व 506 भा0दं0सं0 विरूद्ध अभियुक्त धनश्याम सिंह पंजीकृत हुआ।

2— ***मूल अभियोग में धारा 467, 468 व 471 का कोई उल्लेख नहीं था और न ही अभियोजन कथानक में ऐसा तथ्य था, जिसके आधार पर उक्त धाराएं किसी भी प्रकार से बनती हो।***

3— अभियोग पंजीकृत कराने हेतु प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 में प्रार्थी द्वारा अनेक तथ्यों को छिपाया गया था, किन्तु दिनाक 10–12–2022 को उक्त मामलें के आरोपित धनश्याम सिंह को जब रिमाण्ड मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, सहारनपुर के समक्ष पेश किया गया, तो रिमाण्ड के विरूद्ध अभियुक्त की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। अभियुक्त की ओर से दाखिल आपत्ति के सम्बन्ध में रिमाण्ड मजिस्ट्रेट/ए0सी0जे0एम0 द्वितीय, सहारनपुर द्वारा कोई विस्तृत आदेश पारित नही किया गया, किन्तु रिमाण्ड याचना 14 दिवस के स्थान पर मात्र दो दिवस का न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया, जो इस तथ्य को बल प्रदान करता है कि सिद्धान्तः रिमाण्ड मजिस्ट्रेट भी इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं थी, कि अभियुक्त के विरूद्ध समस्त याचित धाराएं बनती हैं, क्योंकि यदि वास्तविक रूप से ऐसा होता तो रिमाण्ड मात्र दो दिवस के लिए स्वीकृत न किया जाकर 14 दिवस के लिए स्वीकृत किया जाता।

4— दिनांक 08–12–2022 से दिनांक 09–12–2022 का आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोडने की अनुमति लेकर अधोहस्ताक्षरी अपने गृह जनपद आगरा गया था तथा दिनांक 10–12–2022 व 11–12–2022 की दोपहर तक अधोहस्ताक्षरी अपने गृह जनपद आगरा में था। अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11–12–2022 की रात्रि 9:30 बजे अपने सरकारी आवास पर सहारनपुर आया। अधोहस्ताक्षरी को प्रश्नगत मामलें में अभियुक्त

को रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने अथवा दिनांक 12–12–2022 उक्त अभियुक्त को दो दिवस की रिमाण्ड के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के किसी तथ्य की कोई जानकारी किसी भी स्रोत से नहीं थी।

**5–** दिनांक 12–12–2022 को न्यायालय में आने के पश्चात् ही डायस पर बैठने के बाद प्रार्थी/शिकायतकर्ता द्वारा अपने विविध पैरवीकर्ताओं के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करने व अपने अनुकूल आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रार्थी/शिकायतकर्ता के पैरवीकर्ताओं को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि डायस पर ही उभय पक्ष को सुनने के पश्चात् ही किसी भी मामलें में जो भी वैधानिक आदेश होगा, वही पारित किया जायेगा।

**6–** प्रश्नगत मामलें के वादी मुकदमा प्रार्थी/शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थी के मूल अधिवक्ता श्री राजीव त्यागी एडवोकेट की जूनियर अधिवक्ता रीतू त्यागी का वकालतनामा लगवाया गया। समय लगभग 02:30 बजे दोपहर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खुले न्यायालय में जब उक्त मामला पेश हुआ तो प्रार्थी/वादी की ओर से सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार पुण्डीर एडवोकेट व एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेश पँवार एडवोकेट का वकालतनामा भी मौजूद मिला और उक्त दोनों अधिवक्तागण द्वारा अभियोजन अधिकारी श्री योगेश कुमार सागर के साथ मिलकर विस्तृत बहस की गई व अपना पक्ष रखा गया।

**7–** उभय पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के उपरान्त किसी को भी अपने विश्राम कक्ष अथवा आशुलिपिक कक्ष में प्रवेश कराये बिना, उक्त मामलें में रिमाण्ड पर आदेश टंकित कराया गया व डायस पर उक्त आदेश पढकर सुनाया गया। चूँकि प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त मामलें में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सिफारिश कराने का प्रयास किया गया था और अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट इन्कार कर दिया गया था, ऐसी दशा में जब उक्त आदेश टंकित होकर सुनाया गया, तो वादी अथवा उसके अधिवक्तागण मौजूद नहीं थे।

**8–** अभियुक्त पक्ष को इस तथ्य के बारे में कोई जानकारी किसी भी प्रकार से नही थी, कि प्रश्नगत मामलें में रिमाण्ड किन धाराओं में स्वीकृत किया जायेगा। जिसकी पुष्टि अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र से भी होती है, जिसमें उनके द्वारा सम्पूर्ण धाराओं का उल्लेख किया गया है और अधोहस्ताक्षरी का आदेश पारित होने के पश्चात् उनके द्वारा पैन से अतिरिक्त धाराओं को काटा गया है, जिनका अपराध अभियुक्त के विरूद्ध बनना न्यायालय द्वारा नहीं पाया गया।

**9–** अभियुक्त का रिमाण्ड परिवर्तित धाराओं में स्वीकृत होने के पश्चात् आरोपित अपराध अधिकतम सात वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय था। न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण केस डायरी भी थी। अधोहस्ताक्षरी यदि चाहता और अभियुक्त से किसी भी प्रकार से हितबद्ध होता तो उक्त अभियुक्त को तत्काल ही जमानत पर रिहा किया जा सकता था, किन्तु जमानत प्रार्थना पत्र का गुणदोष के आधार पर निस्तारित किए जाने के उद्देश्य से व वादी पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए आपराधिक इतिहास मंगाये जाने का उल्लेख करते हुए अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर अगले दिन की तिथि नियत की गई।

यहाँ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि उक्त तिथि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस अनुरोध पर नियत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि दिनांक 14–12–2022 से 17–12–2022 तक बार के निर्वाचन आदि कार्य के कारण अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, अतः अगले दिन की तिथि प्रदान की जाये। यद्यपि दिनांक 13–12–2022 से ही अधिवक्तागण कार्य से विरत हो गये।

**10–** दिनांक 13–12–2022 को समय 09:55 बजे अधोहस्ताक्षरी जब न्यायालय में आया और डायस पर बैठकर हस्ताक्षर आदि का कार्य कर रहा था, तब प्रशासनिक कार्यालय से लिपिक श्री अमित राठी उपस्थित आये और बिना किसी लिखित मांगपत्र के या कोई भी वजह बताये, यह कहते हुए कि उक्त मामलें की सम्पूर्ण पत्रावली मांगी गई है। चूँकि न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश लोक दस्तावेज है तथा पूर्णतः पारदर्शिता के साथ विधिक प्रकिया का पालन करते हुए पारित किया जाता है, जिसमें छिपाये जाने योग्य कोई तथ्य नहीं हो सकता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा तत्काल अपने कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया गया कि वह सम्बन्धित रिमाण्ड पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय के लिपिक श्री अमित राठी को समस्त प्रपत्रो सहित उपलब्ध करा दें, जो उनके द्वारा तत्समय ही प्राप्त करा दी गई। यहाँ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि आदरणीय महोदया के प्रशासनिक कार्यालय के उक्त लिपिक समय 09:30 बजे प्रातः ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आकर उक्त पत्रावली मांगी गई थी, किन्तु तत्समय तक अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में नहीं पहुँचा था, ऐसी दशा में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से उक्त पत्रावली तत्समय प्राप्त न कराकर यह अनुरोध किया गया था कि अधोहस्ताक्षरी के आने के बाद ही उक्त पत्रावली ले ली जाये।

उक्त तथ्य यह स्पष्ट करता है कि जब प्रार्थी/शिकायतकर्ता अधोहस्ताक्षरी पर अपना अवैधानिक दबाव बनाने में असफल रहा तब उसके द्वारा अन्यत्र तरीके से अपने अवैधानिक हित की पूर्ति का रास्ता अपनाया गया।

**11–** जमानत प्रार्थना पत्रो की सुनवाई के समय 12:30 बजे मामलें के अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये। उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया, तब अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त विद्वान अधिवक्तागण को अवगत कराया गया कि उक्त मामलें की पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदया के प्रशासनिक कार्यालय में तलब की गई है, न्यायालय के समक्ष मौजूद नहीं है। पत्रावली वापस आने पर उक्त में कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

**12–** यह कि समय करीब 3:00 पी0एम0 बजे उक्त रिमाण्ड पत्रावली माननीय महोदया के आदेश संख्या 348/2022 दिनांकित 13–12–2022 के साथ प्राप्त हुई, जिसके अनुपालन में तत्काल उक्त सम्पूर्ण रिमाण्ड पत्रावली मय जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय से न्यायालय ए0सी0जे0एम0 चतुर्थ/अपर सिविल जज 'सी0डि0' सहारनपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दी गई।

**13–** प्रश्नगत मामलें में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12–12–2022 को रिमाण्ड के सम्बन्ध में पारित आदेश तथ्यों एवं विधि का समयक निर्वचन करते हुए पूर्णतः विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है।

**14–** प्रश्नगत मामलें में शिकायतकर्ता/वादी अत्याधिक चालाक व्यक्ति है, जिसा के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156 '3' दं0प्र0सं0 में अनेक तथ्यों को छिपाया गया था, जो विवेचना व अभियुक्त पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष रखे गये। जब अधोहस्ताक्षरी द्वारा ही प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156 '3' दं0प्र0सं0 पर आदेश पारित किया गया, तब प्रार्थी/शिकायतकर्ता के अनुकूल आदेश होने की स्थिति में उसके द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई तथा दिनांक 12–12–2022 को जब अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रार्थी/वादी की किसी भी प्रकार के अवैधानिक दबाव को मानने से इन्कार कर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया, तब उसके द्वारा यह शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

**15–** प्रार्थी/वादी/शिकायतकर्ता द्वारा दबाव बनाने के उद्देश्य से ही अपने मूल अधिवक्ता श्री राजीव त्यागी एडवोकेट की जूनियर अधिवक्ता रीतू त्यागी एडवोकेट के

साथ साथ सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष व एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता को अन्तिम समय पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पेश किया गया, जबकि वास्तविक रूप से वादी/शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री राजीव त्यागी एडवोकेट रहे है। बार के अध्यक्ष को प्रस्तुत करने का उद्देश्य अधोहस्ताक्षरी पर अपने अन्य दबावों के प्रयास में असफल रहने के पश्चात् उक्त को दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/शिकायतकर्ता अत्याधिक चालाक व्यक्ति है, जब वह अधोहस्ताक्षरी पर अपना अविधिक दबाव बनाने में कामयाब न हो सका, तब उसके द्वारा अन्य माध्यम से अन्य स्तर से अपने मनवॉछित उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

प्रार्थी/वादी/शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र में अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध आरोपित समस्त तथ्य पूर्णतः असत्य, निराधार, काल्पनिक एवं वास्तविकता से परे हैं, जिनका एक मात्र उद्देश्य अधोहस्ताक्षरी पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर अपने मन वांछित हितों की अवैधानिक रूप से प्रतिपूर्ति करना प्रतीत होता है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

आदर सहित।

भवदीय,

(अनिल कुमार XI)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

दिनॉकः—20—12—2022